an>

Title: Regarding hiring of services of private security guards in Central Coalfields Limited, Jharkhand.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) ः कोल इण्डिया अंतर्गत सी.सी.एल. सहित कोयला उद्योग का संपूर्ण सुरक्षा विभाग निजी सुरक्षा गार्ड, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राज्य गृह रक्षा वाहिनी और विभागीय सुरक्षा कर्मियों के हवाले हैं। करीब दो दशकों से कोयला उद्योग में बहाली बंद रहने एवं पुराने विभागीय सिक्योरिटी गार्डों के बड़े पैमाने पर रिटायरमेंट के कारण कम्पनी में सुरक्षा कर्मियों की भारी कमी आयी है। फिलहाल पूरे सी.सी.एल. में करीब एक से डेढ़ हजार तक निजी सुरक्षा प्रहरी डी.जी.आर. के तहत कार्यरत हैं। इसके अलावा कहीं-कहीं सी.आई.एस.एफ., राज्य गृह रक्षा वाहिनी एवं विभागीय सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं। पुनर्वास महानिदेशालय डी.जी.आर. (डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन सेवानिवृत सैनिकों का विभाग है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत पुनर्वास महानिदेशालय एक अंतर सेवा संगठन है। इसका कार्य पुनर्वास एवं कल्याण संबंधी कार्य करना है। देश के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा प्रहरियों की नियुक्तियों को लेकर डी.जी.आर. को प्राथमिकता देने का गृह मंत्रालय का स्वतः आदेश है। इसके लिए बाकायदा टेण्डर निकलता है। कोल इण्डिया की सभी कंपनियां इसके लिए डी.जी.आर. से नाम मांगती हैं, इसके तहत होने वाली निविदा की दर तय रहती है। जिसके नाम से डी.जी.आर. की एजेंसी होती है, उसी के नाम से कंपनी हर माह वेतन भुगतान का चेक निर्गत करती है। मुख्य नियोजक सी.सी.एल. के साथ डी.जी.आर. के करार के मुताबिक गार्डों को लाठी, टॉर्च, बैट्री, वर्दी, टोपी, जूता, गर्म कपड़े, रेनकोट आदि मुहैया कराना है, लेकिन इसका कायदे से पालन नहीं होता है। कई बार गार्ड अपराधियों के शिकार भी होते रहे हैं। सी.सी.एल. के कथारा एरिया में करीब 15-20 वर्षों से विभिन्न कम्पनियों के अधीन 232 सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। पहले कम्पनी बदलने के साथ गार्ड भी बदल दिये जाते थे जिसको लेकर यहां कई दफा आन्दोलन भी हुआ है। कॉन्ट्रेक्ट लेबर एक्ट के मुताबिक स्थाई प्रकृति के इन सुरक्षा गार्डों को नियमितिकरण करते हुए एन.एस.डब्ल्यू. का वेतन एवं अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस मामले में धनबाद ट्रब्यूनल-1 में एक मामला विचाराधीन है। अभी भी सी.सी.एल. के कथारा एरिया में दर्जनों सुरक्षा गार्डों को हटाया जा रहा है जिसको लेकर लोग आन्दोलनरत हैं। अभी भी ऐसे गार्ड झारखण्ड सरकार के न्यूनतम वेतन से भी वंचित हैं। पूर्व सैनिक और सामान्य गार्डों के वेतन में डेढ़ गुना का अंतर है।

अतः केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है कि सी.सी.एल. में निजी सुरक्षा गार्ड के तहत कार्यरत गार्डों को कम्पनी बदलने के बाद भी रखने की व्यवस्था की जाये तथा उन्हें स्थाई प्रकृति के कर्मचारियों की तरह वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाये।